न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद सीरवी, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 11/2014

प्रार्थीगण

1. मोहनराम पुत्र हीराराम
2. पुखराज पुत्र हीराराम
3. रूगनाथ पुत्र हीराराम
4. रमेश पुत्र हीराराम
5. लूंगादेवी पत्नी हीराराम
   जाति बिश्नोई निवासी वावनगर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लाधूराम पुत्र सुखराम
2. ओमप्रकाश पुत्र पूनमाराम
3. राजूराम पुत्र पूनमाराम
4. पालूदेवी पत्नी पूनमाराम
   जाति बिश्नोई निवासी निवासी वावनगर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा पादरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

<u>उपस्थित:</u>

1. **श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री गजेसिंह अधिवक्ता विप्रार्थीगण**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 06/12/19

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम वावनगर तहसील सिवाना में खेत खसरा नम्बर 1673 रकबा 37–19 बीघा व खसरा नम्बर 1921/1674 रकबा 04–04 बीघा किस्म धोरा का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौस के विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 रकबा 27–12 बीघा मौजा वावनगर में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1673 व 1921/1674 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 में से पूर्वी माठ माठ संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 की ओर से वकील उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना का किसी प्रकार का जबाव पेश नहीं किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट कमांक 1169 दिनांक 25.11.2016 पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ते का मौका दिनांक 03.08.2016 को देखा गया, मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौजूद मिले। दोनों पक्षों के रूबरू मौजा वावनगर के खेत खसरा नम्बर 1673, 1921/1674 में आवागमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1672 में से 12 फीट चौडे रास्ते की मौका जांच की गई प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदित रास्ता खसरा नम्बर 1672 के बीच से मांगा जिससे विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 के दो भाग (फाड) होते हैं। उक्त आवदित रास्ता खसरा नम्बर 1672 की दक्षिणी पूर्वी माठ के सहारे-सहारे 12 फीट संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है, जिया जा सकता है। प्रार्थीगण के उक्त खेत खसरान में आवागमन का उक्त आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता कटाण रेकर्ड में नहीं है। तहसीलदार सिवाना की उक्त रिर्पोट पर वकील विप्रार्थीगण ने आपत्ति कर पुनः मौका रिर्पोट मंगाने का निवेदन किया। वकील विप्रार्थीगण की आपत्ति पर तहसीलदार सिवाना से पुनः रिर्पोट मंगाई गई, जो तहसीलदार ने अपने पत्रांक 3994 दिनांक 11.10.2019 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को सूचित कर दिनांक 01.10.2019 को मौका देखा गया, मौके पर प्रार्थीगण उपस्थित मिले तथा विप्रार्थीगण बाबजूद सूचना के मौके पर हारिज नहीं आए। प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका देख गया। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1673 व 1921/1674 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 में नक्शा में दर्शाये अनुसार बिन्दु संख्या A से B तक 12 फीट रास्ते की मांग की है, प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत से राजकीय कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 में से कटान हेतु प्रस्तावित रास्ते की चौडाई व लम्बा 100 गट्ठा x 2 गट्ठा कुल रकबा 10 बिस्वा है। इस रिर्पोट पर भी वकील विप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति की। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत दोनों मौका रिर्पोटों एंव रिर्पोटों के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत अपनी दोनों ही रिर्पोटों में विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 मे से दक्षिणी पूर्वी सेढे-सेढे रास्ता दर्शाया गया है। प्रथम रिर्पोट का मौका दिनांक 03.08.2016 को देखा गया, जिसमें प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण उपस्थित रहे। तथा दूसरी रिर्पोट का मौका 01.10.2019 को देखा गया जिसमें बाबजूद सूचना के विप्रार्थीगण मौके पर हाजिर नहीं हुए। अवलोकन रेकर्ड व रिर्पोट से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1673 व 1921/1674 से राजकीय कटान मार्ग तक पहुचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 में तहसीलदार सिवाना द्वारा अपनी रिर्पोट कमांक 3994 दिनांक 11.10.2019 द्वारा प्रस्तावित बरंग लाल A से B के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी विकल्प नहीं है। इस रिर्पोट को प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। वकील विप्रार्थीगण द्वारा बार-बार मौका रिर्पोटों पर आपत्ति किये जाने से यह प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की आपत्तियों का कोई अन्त नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा अपनी रिर्पोट क्रमांक 3994 दिनांक 11.10.2019 द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''लाल रंग मार्क'' अनुसार सरकारी कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 1673 व 1921/1674 ग्राम वावनगर में आने-जाने हेतु विप्राथीगण के खेत खसरा नम्बर 1672 मौजा वावनगर में से चौडाई 2 गट्ठा व लम्बाई 100 गट्ठा का कुल रकबा 0-10 बीघा रास्ते हेतु बरंग ''लाल'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना एवं अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/12/19 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2020.01.04 14:35:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: